खबर संक्षेप

जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक संपन्न

शहडोल। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती फूलवती सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में 30 जून तक चलाए जा रहे जल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान की एवं अन्य समसामयिक विषयों की समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियो से अपील की गई कि जल गंगा संवर्धन अभियान में बढ़ चढक़र सहभागिता निभाएं एवं जल की एक-एक बूंद सहेजने में अपनी जिम्मेदारी समझकर योगदान दें। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुद्रिका सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को भिजवाए एनआरसी केंद्रः कलेक्टर

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति एवं राष्ट्रीय पोषण मिशन अतंर्गत जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार कराए एवं स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ जरूरतमंद मरीजों को अवश्य दें। कलेक्टर ने कहा कि गर्भवती माताओं से स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला उनसे सतत रूप से संपर्क स्थपित करते हुए उन्हें आवश्यकतानुसार समय समय पर उपचार करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कुपोषण मुक्त करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग समन्वय बनाकर कार्य करे और वरिष्ठ अधिकारी, मैदानी अमले द्वारा किए जा कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें एन आर सी केंद्रों में भिजवाए तथा बच्चों को पोषण किट का भी वितरण प्राथमिकता के साथ किया जाए, कोई भी एन.आर.सी. केंद्रों की कोई भी सीटें रिक्त न रहे यह भी सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया की जांच नियमित रूप से की जाए एवं सिकल सेल के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु गतिविधियां आयोजित करें। कलेक्टर ने 14 से 15 वर्षीय बेटियों को जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु लगाए जा रहे एच. पी. व्ही. वैक्सीनेशन की समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में अमोल पोर्टल, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रक कार्यक्रम, प्रसव, जिला चिकित्सालय में और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार सहित अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति, मुख्य कार्यपालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा, सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अखिलेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. केदार सिंह ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य हेतु जिला स्तरीय नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायतवार मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किया है। कलेक्टर ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शहडोल केप्रशांत सालवार एवं पंकज तिलाटिया व्याख्याता, डाईट कॉलेज शहडोल के अनिल श्रीवास्तव व्याख्याता को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया है।

मौत के साये में शहडोल: प्रशासन का हंटर चला

53 खूनी इमारतों को अंतिम चेतावनी!

शहडोल।

शहर की घनी बस्तियों और व्यस्त बाजारों में खड़े जर्जर भवन अब किसी बड़े हादसे का निमंत्रण दे रहे हैं। प्रशासन की नींद आखिरकार टूटी है और यमदूत बने इन खंडहरों पर नगर पालिका ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के तीखे तेवरों के बाद नगर पालिका परिषद ने शहर के अलग-अलग वार्डों में मौत का ठिकाना बने 53 जर्जर भवनों को चिन्हित कर उनके स्वामियों को अंतिम नोटिस थमा दिया है। साफ संदेश है या तो मरम्मत कराओ, या खुद ढहा दो, वरना प्रशासन का बुलडोजर चलेगा और वसूली भी आप ही से होगी।

खंडहरों में बस रही हैं जिंदगियां

मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती आशा जितेंद्र भंडारी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने जब शहर की गलियों को खंगाला, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कुल 53 ऐसी इमारतें मिलीं जो कभी भी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। सबसे ज्यादा डरावनी स्थिति उन भवनों की है, जहां आज भी मासूम जिंदगियां निवासरत हैं। जर्जर छतों और दरकती दीवारों के बीच रह रहे लोगों को अब सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपनी और दूसरों की जान से खिलवाड़ बंद करें।

वर्षा ऋतु से पहले ऑपरेशन क्लीन

मानसून की दस्तक सिर पर है और तेज बारिश इन खंडहरों के लिए काल साबित हो सकती है। प्रशासन ने इसे इमरजेंसी मानते हुए प्राथमिकता पर लिया है। भारी बारिश में इन भवनों के धराशायी होने और जन-धन की भारी तबाही की आशंका को देखते हुए नगर पालिका ने कमर कस ली है। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर यदि भवन स्वामी ने खुद ध्वस्तीकरण या पुख्ता मरम्मत नहीं की, तो प्रशासन बिना किसी सूचना के हथौड़ा चलाएगा।

खर्च भी वसूलेंगे, केस भी होगा

नगर पालिका का रुख इस बार बेहद आक्रामक है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि नगर पालिका को इन अवैध और खतरनाक ढांचों को गिराने के लिए संसाधन झोंकने पड़े, तो उसका पूरा हर्जाना (ध्वस्तीकरण व्यय) संबंधित भवन स्वामी की संपत्ति कुर्क कर वसूला जाएगा। लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। सार्वजनिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले रसूखदारों को भी बख्शने के मूड में विभाग नहीं है।

आम जनता के लिए रेड अलर्ट

नगर पालिका ने आम नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि वे चिन्हित किए गए इन मौत के जाल के आसपास से गुजरने से बचें। विशेषकर बच्चों को इन जर्जर दीवारों के समीप न खेलने दें। यदि आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा भवन है जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, तो उसकी सूचना तत्काल नगर पालिका को दें।

जारी रहेगा अभियानः समझौता नहीं

अधिकारियों का कहना है कि यह केवल एक बार की कार्रवाई नहीं है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक शहर का एक-एक खतरनाक ढांचा सुरक्षित नहीं कर लिया जाता। नगर पालिका की इस क्लीनअप ड्राइव से उन मकान मालिकों में हडक़ंप मच गया है जो सालों से जर्जर भवनों को किराए पर चढ़ाकर या खाली छोड़ कर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे थे। सावधान शहडोल! अब लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। प्रशासन का डंडा चलने को तैयार है, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना ही एकमात्र विकल्प है।

बंधक बनाकर लूटी अस्मत, आरोपी सहित सहयोगी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार

शहडोल। मानवता को शर्मसार करने वाले एक सनसनीखेज मामले में झींक बिजुरी पुलिस ने त्वरित स्ट्राइक करते हुए अपहरण और सामूहिक क्रूरता के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने न केवल अपहत पीड़िता को चंगुल से छुड़ाया, बल्कि हैवानियत की हदें पार करने वाले मुख्य आरोपी और उसकी मददगार महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है।

मामला किसी फिल्मी पटकथा से कम खौफनाक नहीं है। आरोपियों ने पीड़िता को उसके घर से जबरन उठाकर अगवा किया और ग्राम खिचड़ी स्थित एक मकान में कैद कर दिया। दरिंदगी की इंतिहा तब हुई जब मुख्य आरोपी ने पीड़िता को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीड़िता को बेरहमी से पीटा गया और जान से मारने की धमकियां दी गईं। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी रामपाल वर्मा की टीम ने जाल बिछाया। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी कमलू अगरिया उम्र 25 वर्ष और उसकी सहयोगी उर्मिला उम्र 25 वर्ष को धर दबोचा। पीड़िता के न्यायालय में दर्ज बयानों और पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

जैतपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में हुई इस सफल कार्यवाही ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रामपाल वर्मा, सउनि शिवराम सिंह और उनकी टीम ने जिस मुस्तैदी से आरोपियों को दबोचा, उसकी क्षेत्र में सराहना हो रही है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं और मासूमों के विरुद्ध अपराध करने वालों की जगह सिर्फ जेल की कालकोठरी है।

जिस आंगन में थिरके ससुर, वहीं से उठी अर्थी

डोली और मय्यत एक साथ देख दहल उठा गांव

शहडोल।

जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम पहलवा में कल सुबह जो मंजर दिखा, उसने पत्थर दिल इंसान की भी रूह कंपा दी। जिस घर से शहनाइयों की गूंज के साथ बेटी की विदाई होनी थी, वहां से ससुर की अर्थी और बहू की डोली साथ-साथ निकली। खुशियों के मंडप में मातम का ऐसा तांडव हुआ कि हर आंख पथरा गई।

नाचते-नाचते थम गईं सांसें

मिली जानकारी के अनुसार जयसिंहनगर के ग्राम गजनी से धरमदास परस्ते उम्र 50 वर्ष अपने लाड़ले बेटे हरीश की बारात लेकर पहलवा आए थे। रात भर वैवाहिक रस्में उल्लास के साथ पूरी हुईं। सुबह विदाई की बेला थी, आदिवासी परंपरा के मुताबिक हल्दी-पानी की रस्म चल रही थी। ढोल-नगाड़ों की थाप पर दूल्हे के पिता धरमदास बारातियों संग झूम रहे थे। किसे पता था कि यह उनके जीवन का आखिरी नृत्य है। थिरकते-थिरकते वे अचानक जमीन पर गिरे और फिर कभी नहीं उठे।

अस्पताल में पसरा सन्नाटा

परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें गोहपारू अस्पताल पहुंचाया, लेकिन नियति अपना खेल खेल चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉट डेड घोषित कर दिया। मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, मंगल गीतों की जगह चित्कार ने ले ली। दूल्हा हरीश इस सदमे से सुध-बुध खो बैठा, एक तरफ जीवनसंगिनी का साथ था, तो दूसरी तरफ पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका था।

अर्थी के पीछे चली डोली

गांव के बुजुर्गों ने ढांढस बंधाया, जिसके बाद भारी मन से विदाई की औपचारिकता पूरी की गई। मंजर इतना दर्दनाक था कि नई नवेली दुल्हन रीना सिंह अपनी ससुराल की दहलीज पर कदम रखने से पहले ससुर के शव के साथ बिलखती नजर आई। जयसिंहनगर के ग्राम गजनी में जब एक साथ पिता की अर्थी और बेटे की बारात पहुंची, तो पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है, लेकिन इस जख्म की भरपाई शायद ही कभी हो पाए।

पत्नी से तकरार, साले के मासूम का अपहरण

पुलिस ने जंगल की झोपड़ी से छुड़ाया मासूम

शहडोल।

पति-पत्नी के झगड़े ने एक साल के बेगुनाह मासूम को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। अपनी पत्नी को बिछडऩे का दर्द सिखाने की सनक में एक सिरफिरे जीजा ने अपने ही साले के कलेजे के टुकड़े का अपहरण कर लिया। आरोपी जीजा मासूम को लेकर रात के अंधेरे में जंगलों की ओर भाग निकला, जिससे पूरे इलाके में हडक़ंप मच गया। हालांकि, शहडोल पुलिस की मुस्तैदी ने आरोपी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए महज कुछ घंटों में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया।

खिलाने के बहाने उठाया

सनसनीखेज वारदात ब्यौहारी थाने के मैर गांव की है। आरोपी उमेश सिंह अपनी पत्नी के मायके चले जाने और वापस न लौटने से इस कदर बौखलाया कि उसने बदला लेने की खौफनाक साजिश रच डाली। सोमवार रात करीब 9 बजे उमेश अपने साले पूरन के घर पहुंचा। उसने सहजता दिखाते हुए एक साल के मासूम महेंद्र को गोद में लिया और खिलाने के बहाने घर से बाहर निकला। जब घंटों बीत जाने के बाद भी वह नहीं लौटा, तो परिजनों के हाथ-पांव फूल गए।

तीन टीमें, रातभर का हाई वोल्टेज ड्रामा

मासूम की मां संगीता के बिलखते हुए थाने पहुंचते ही पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया। थाना प्रभारी जिया उलहक ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत तीन विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस ने रातभर जंगलों और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। आरोपी शातिर तरीके से लोकेशन बदल रहा था, लेकिन साइबर सेल की मदद और मुखबिरों के सटीक जाल ने उसे घेर लिया।

जंगल की झोपड़ी में दी दबिश

सुबह की पहली किरण के साथ ही पुलिस ने भमरहा के घने जंगल में एक लावारिस झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी उमेश सिंह को दबोच लिया और उसके चंगुल से बिलखते मासूम को आजाद कराया। पूछताछ में आरोपी ने उबकाई पैदा करने वाला तर्क दिया, उसने कहा कि पत्नी उसे बच्चों से नहीं मिलने दे रही थी, इसलिए उसने साले के बच्चे को अगवा किया ताकि उन्हें भी वही दर्द दे सके। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। फिलहाल मासूम अपनी मां की गोद में सुरक्षित है और आरोपी जीजा जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा है।

यूआईटी आरजीपीवी में टीएमसी कंपनी ने डाली दस्तक

शहडोल।

स्थानीय यूआईटी आरजीपीवी संस्थान में बुधवार को भविष्य के अभियंताओं के सपनों को पंख लगते दिखाई दिए। संस्थान में मैकेनिकल और माइनिंग संकाय के अंतिम वर्ष के लगभग 70 विद्यार्थियों के लिए एक वृहद परिसर चयन प्रक्रिया कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें नामचीन कंपनी टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड ने शिरकत की।

चयन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में भारी उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। कंपनी के प्रतिनिधि राहुल सिंह और उत्कर्ष नामदेव ने औद्योगिक विकास की बारीकियों से छात्रों को अवगत कराया। कंपनी के कार्यकारी निदेशक श्री समंता ने संस्थान के विद्यार्थियों के अनुशासन और उनकी तकनीकी सूझबूझ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने शिक्षा और उद्योग के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में व्यावहारिक ज्ञान ही सफलता की असली कुंजी है।

चयन का सफर आसान नहीं था। लिखित परीक्षा की कठिन चुनौती के बाद श्री समंता, श्री विश्वजीत और श्री इंद्रजीत के कुशल निर्देशन में सामूहिक चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौर चले। विद्यार्थियों ने अपनी तार्किक क्षमता और विषय ज्ञान से चयनकर्ताओं को गहराई से प्रभावित किया।

कार्यक्रम के समापन पर संस्थान के संचालक डॉ. पंकज जैन ने श्री समंता को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष आशीष खरे, अमिताभ मिश्रा और डॉ. पी.एल. वर्मा सहित समस्त संकाय सदस्य उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों के रोजगार के लिए, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक विकास की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा।

जल गंगा संवर्धन अभियान से पुराने जल स्त्रोतों को मिल रहा पुर्नजीवन, वर्षा जल के संचयन से जल स्तर में होगी वृद्धि, विभागों द्वारा किये गए विभिन्न कार्य

शहडोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में दूरगामी सोच के साथ मध्यप्रदेश में जल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान में जनभागीदारी से जनांदोलन बन चुका है। जल ही जीवन है यह केवल एक वाक्य नही, बल्कि हमारी पृथ्वी का आधार है। हर बूंद हमारे अस्तित्व से जुडी है। जल की हर बूंद का संरक्षण मध्यप्रदेश सरकार का प्रण। जल की हर बूंद की अहमियत समझते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किये गए कार्यों में सकारात्मक एवं प्रभावशाली परिणाम परिलक्षित हो रहें। जल के संरक्षण, संवर्धन एवं जल के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उददेश्य से जल गंगा संवर्धन अभियान शहडोल जिले में प्रगति पर है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति के निर्देशानुसार शहडोल जिले के समस्त ग्राम पंचायतो एवं नगरीय निकायो में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वर्षा के जल के संचयन हेतु पुराने तालाबो की साफ-सफाई, जल स्त्रोतो के जीर्णोद्धार के कार्य, शोक पिट निर्माण, वाटर हार्वेस्टिग के कार्य जैसे अन्य कार्य किये जा रहे है। जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन-प्रतिनिधियो, अधिकारियो, समाजसेवियो, स्वयंसेवी संगठनो के सदस्यो एवं जन सहयोग से

विभिन्न कार्य किये जा रहे है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले में 5613 कार्य स्वीकृत किये गए है जिनमें से 1006 काम पूर्ण किये गए है तथा 2834 कार्य प्रगतिरत है। अभियान के तहत जिले में 3217 खेत तालाब स्वीकृत किये गए है, जिनमें से 722 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा 1902 काम प्रगतिरत है। ब्यौहारी जनपद पंचायत में 347 खेत तालाब स्वीकृत किये गए है जिनमें से 81 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा 266 कार्य प्रगतिरत है। बुढ़ार जनपद पंचायत में 766 खेत तालाब स्वीकृत किये गए है, जिनमें से 88 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा 494 कार्य प्रगतिरत है। गोहपारू जनपद पंचायत में 596 खेत तालाब स्वीकृत किये गए है, जिनमें से 236 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा 224 कार्य प्रगतिरत है। जयसिंहनगर जनपद पंचायत में 925 खेत तालाब स्वीकृत किये गए है जिनमें से 218 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा 539 कार्य प्रगतिरत है। सोहागपुर जनपद पंचायत में 493 खेत तालाब स्वीकृत किये गए है, जिनमें से 99 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा 379 कार्य प्रगतिरत है। जिले में डगवेल रिचार्जिग के 620 कार्य हाथ में लिए गए है जिनमें 241 कार्य पूर्ण किये गए है। अमृत सरोवर के तहत जिले में 8 कार्य स्वीकृत किये गए है जो प्रगतिरत है। जल संसाधन विभाग द्वारा 32 कार्य स्वीकृत किये गए है जिनमें से 7 कार्य पूर्ण हो चुके है। जल संरक्षण एवं वाटर रिचार्ज के तहत 1042 कार्य स्वीकृत किये गए है जिनमें से 105 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा शेष कार्य प्रगतिरत है। वाटर शेड से संबंधित 229 कार्यों में से 19 कार्य पूर्ण किये जा चुके है। जल संरचनाओ के जीर्णोद्धार के तहत 105 कार्य संचालित किये जा रहे है जिनमें से 53 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा 56 कार्य प्रगतिरत है। नगरीय निकाय शहडोल द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 1 कार्य जल संग्रहण संरचना के जीर्णोद्धार, 25 जल ग्रहण संरचनाओ के कार्य, 8 नाले-नालियो की साफ-सफाई सौद्धर्यीकरण के कार्य,26 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य, 61 जल मंदिर (प्याऊ) की स्थापना, पौधरोपण हेतु 13 कार्य पूर्ण किये जा चुके है। उद्यानिकी विभाग द्वारा 29 फल पौधरोपण के कार्य, 226 हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई का क्षेत्र विस्तार तथा 5 पानी चौपालो का आयोजन किया गया,।

खबर संक्षेप

अधिकारियों,कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

उमरिया। निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय डीसीओ (म.प्र.) जनगणना परिपत्र 1 तथा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2026 में दिये निर्देश के परिपालन में भारत की जनगणना 2027 अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना संबंधी महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रीय कार्य 1 मई, 2026 से 30 मई 2026 की अवधि में अनिवार्य रूप से संपादित किया जाना है। कलेक्टर एवं जिला प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती राखी सहाय ने कहा है कि मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना संबंधी कार्य को दृष्टिगत रखते हुये उक्त कार्य संपादन में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा 1 मई, 2026 से 30 मई 2026 तक लिये जाने वाले समस्त प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा। समस्त विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुख प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त अवधि के दौरान विशेष परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति उपरांत अवकाश स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

कोतमा। नगर के वार्ड क्रमांक 6 मंगल भवन के सामने बसंत तिवारी के मकान में किराए से रह रहे 27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बारे में बताया जाता है अषीश सिंह बघेल 27 वर्ष निवासी रीवा एक सोलर कंपनी मे काम करता था। बुधवार की सुबह 10 बजे तक जब वह काम में नहीं गया तो कंपनी के संचालक निखिल शुक्ला कमरे में उसे बुलाने पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था काफी देर आवाज देने के बाद जब अंदर से कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो कमरे में लगे रोशनदान से झांक कर देखा तो वह फांसी में झूल रहा था। तत्काल ही घटना की जानकारी कोतमा थाने में दी गई मौके पर पुलिस ने पहुंचकर खिड़की तोड़ते हुए अंदर पहुंचकर कमरे का ताला तोड़ते हुए शव का पंचनामा तैयार कर शव पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों की पुलिस जांच कर रही है।

खदान में डूबने से बालिका एवं महिला की थम गई सांसें

कटनी। बाकल थाना अंतर्गत ग्राम साडा में मौसी और भतीजी की खदान में डूबने से मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना उस समय हुई जब दोनों शादी समारोह में शामिल होने गांव आई थीं। जानकारी के अनुसार ग्राम पटना निवासी 12 वर्षीय सिमरन उर्फ माही अपने परिजनों के साथ ग्राम साडा में मौसी के घर विवाह समारोह में शामिल होने आई थी। सुबह करीब 11 बजे सिमरन अपनी 40 वर्षीय मौसी अनुतिया यादव के साथ श्मशान घाट के पास स्थित एक छोटी खदान में नहाने गई थीं। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान सिमरन का पैर फिसल गया और वह खदान के गहरे पानी में डूबने लगी। भतीजी को बचाने के प्रयास में मौसी अनुतिया भी खदान में कूद गईं, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण दोनों की मौके पर ही डूबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं सूचना मिलने पर बाकल थाना पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों के शव को खदान से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

साहबों की मेहरबानी से पुलिया बनी सरकारी डकैती का स्मारक

तेन्दूडोल में साइकिल स्टोर से बह रही रेत की गंगा

शहडोल। जिले की जनपद पंचायत जयसिंहनगर इन दिनों विकास के लिए नहीं, बल्कि सरकारी खजाने की सफारी के लिए मशहूर हो चुकी है। यहां की ग्राम पंचायत तेन्दूडोल में भ्रष्टाचार का ऐसा इंजीनियरिंग मॉडल तैयार किया गया है, जिसे देखकर बड़े-बड़े ठग भी शरमा जाएं। हंसू सिंह के खेत के पास बन रही कल्वर्ट पुलिया निर्माण में सरपंच, सचिव और वेण्डर ने मिलकर लूट का वह त्रिकोण बनाया है, जिसने नियमों की अर्थी निकाल दी है, चर्चा है कि उक्त पुलिया के निर्माण स्थल को लेकर भी सवाल पूर्व में खड़े हो चुके हैं, तालाब की मेढ़ पर पुलिया का निर्माण पूरी स्थल चयन प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर रहा है।

जादूगर वेंडर निकाल रहा रेत

इस पूरे खेल के सबसे बड़े जादूगर गुप्ता साइकिल एंड हार्डवेयर स्टोर, अमझोर के संचालक हैं। ताज्जुब की बात है कि जिले में रेत का एक भी वैध ठेका संचालित नहीं है, यानी रेत फिलहाल सोने से भी ज्यादा दुर्लभ है, लेकिन तेन्दूडोल में निर्माण के नाम पर रेत की नदियां बह रही हैं और इसकी सप्लाई का सेहरा एक ऐसी दुकान के सिर पर बंधा है, जहां कायदे से साइकिल के टायर-ट्यूब बिकने चाहिए। हैरत की बात है कि जिस वेंडर के पास रेत का कोई वैध स्रोत नहीं है, उसने धड़ल्ले से 84 हजार रुपये की रेत कागजों पर उगल दी। सवाल यह है कि क्या गुप्ता साइकिल स्टोर ने रेत का उत्पादन अपनी दुकान के पीछे शुरू कर दिया है या फिर चोरी की रेत को ऊंचे दामों पर खपाकर सरकारी पैसे की बंदरबांट की जा रही है।

बजट से ज्यादा का माल डकार गए

पुलिया निर्माण के बजट का गणित ऐसा है कि किसी भी अर्थशास्त्री को चक्कर आ जाए। 26 जनवरी 2025 को स्वीकृत हुए 4 लाख 99 हजार रुपये के बजट में 4 लाख 24 हजार रुपये सामग्री के लिए थे, लेकिन भ्रष्टाचारियों की तिजोरी इतनी गहरी है कि निर्माण पूरा होने से पहले ही सामग्री के नाम पर 4 लाख 48 हजार 232 रुपये साफ कर दिए गए। अब खाते में महज 50,768 रुपये बचे हैं। सवाल यह है कि क्या अब मजदूर हवा खाकर पुलिया बनाएंगे या फिर योजना यह है कि किसी फर्जी मस्टर रोल के जरिए इस आखिरी बची रकम को भी आपस में बांट लिया जाए।

उपयंत्री की कलम या भ्रष्टाचार की स्याही

जब स्टीमेट की धज्जियां उड़ रही थीं, तब तकनीकी साहब की आंखें क्या मटेरियल की चमक से चौंधिया गई थीं? यदि पंचायतों को अपनी मनमर्जी से ही लाखों डकारने हैं, तो उपयंत्री महोदय द्वारा स्टीमेट बनाने का नौटंकी क्यों किया जाता है? बिना मूल्यांकन और बिना सीसी जारी हुए बिलों का अंधाधुंध भुगतान होना इस बात की तस्दीक करता है कि यहां अंधेर नगरी और चौपट राजा का शासन चल रहा है।

कुंभकर्णी नींद में जिम्मेदार

हैरानी इस बात की है कि इस महालूट की जानकारी जनपद से लेकर जिला मुख्यालय के बड़े साहबों के कानों तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन मजाल है कि किसी के माथे पर शिकन तक आई हो। अब तक जांच के आदेश न होना यह संकेत देता है कि इस मलाई में हिस्सा ऊपर तक जा रहा है। क्या साहब लोग इस इंतजार में हैं कि पुलिया पहली बारिश में बह जाए और सबूत खुद-ब-खुद मिट जाएं।

हमारी मांग और चेतावनी

तेन्दूडोल की इस पुलिया की गुणवत्ता और गुप्ता साइकिल स्टोर द्वारा दी गई अवैध रेत की सप्लाई की उच्च स्तरीय जांच अनिवार्य है। यदि बिलों का भौतिक सत्यापन और निर्माण की गुणवत्ता के साथ स्थल चयन को लेकर जांच नहीं हुई, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रशासन भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहा है। जनता देख रही है कि कैसे उनके हक का पैसा साइकिल स्टोर के फर्जी बिलों और सरपंच-सचिव की जुगलबंदी की भेंट चढ़ रहा है।

कलेक्टर ने एनआईसी कक्ष में वितरित किए पेंशन प्रमाण पत्र

श्रीमती सहाय व्दारा वितरित किया गया ।

मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों के खाते मे अंतरित कि पेंशन राशि

उमरिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के 33 लाख से अधिक हितग्राहियो को माह मार्च पेड इन अप्रैल 2026 की कुल राशि 200.71 करोड़ का हितलाभ सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। उमरिया जिले के भी हितग्राहियों को वृध्दावस्था, कल्याणी, दिव्यांगता पेंशन की राशि अंतरित हुई । कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उमरिया एनआईसी कक्ष में देखा एवं सुना गया । इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग अमन कुमार दुबे सहित हितग्राही उपस्थित रहे । इस अवसर पर सावित्री यादव , कृष्णपाल यादव, गंगा बर्मन, लक्ष्मण सोधियां, मीरा बाई सोधियां, मोबीन निवासी, रामरती कोरी, उमरिया को वृध्दावस्था पेंशन, कोरी,वंदना हरीजन को कल्याणी पेंशन, अमित जैसवाल को दिव्यांगता पेंशन का प्रमाण पत्र कलेक्टर

गर्मी के साथ ही जंगलों में पकने लगे तेंदू फल

हरिभूमि न्यूज कोतमा। गर्मी की शुरुआत के साथ ही जंगलों में तेंदू फल पकने लगे हैं. लोग इसे खाना खूप पसंद करते हैं. जितना यह खाने में अच्छा लगता है, उतने ही यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इन दिनों यह बाजार में भी खूब बिकने आ रहा है। तेंदू फल के गुणों की बात की जाए तो यह आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है. यह फल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में इसे ताकत बढ़ाने वाला फल कहा जाता है, इसका नियमित सेवन पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर को ऊर्जा देता है। इन दिनों कोतमा बिजुरी नगर में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बैरीडांड गांव से महिलाएं तेंदू फल को जंगल से तोड़कर ट्रेन से यहां बेचने आती है। इतना ही नहीं शहडोल जिले के झींक बिजुरी सहित केशवाही क्षेत्र के जंगलों में भी तेंदू के पेड़ बहुतायत मात्रा मे लगे है। वहां से भी महिलाएं तेंदू फल को कोतमा बाजार में बेचने आती हैं। सीमावर्ती जिला शहडोल सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों के जंगलों में बड़ी संख्या में तेंदू के पेड़ पाए जाते हैं, जिसके चलते ग्रामीण इस फल को जंगल से तोड़कर शहरों और गांवों के बाजारों में सस्ते दामों में बेचते हैं। जानकारो के मुताबिक तेंदू फल का सीजन वैशाख तक रहता है, लेकिन जेठ तक यह कहीं-कहीं मिल पाता है। हालांकि, अब यह स्थानीय बाजारों में बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है। बता दें कि तेंदू फल के कम होने की एक बड़ी वजह बीड़ी उद्योग का धीरे-धीरे बंद होना भी है. दरअसल, तेंदू के पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने में होता था, लेकिन स्वास्थ्य पर बुरे असर के कारण बीड़ी का कारोबार सिमटने लगा है. जब तेंदू पत्तों का संग्रहण कम हुआ, तो जंगलों में जाने वाले मजदूर भी घट गए, जिससे तेंदू फल बाजारों में कम दिखाई देने लगे हैं. जानकारों का कहना है कि तेंदू फल गर्मी में सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है, यह शरीर को ठंडक और ताकत देने वाला फल है। इस बार बाजार में तेंदू फल 30 से 40 रुपये किलो की दर से बिक रहा है. बुजुर्गों के मुताबिक, पहले यह फल आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब इसे लाने के लिए लोग ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं. जंगलों से फल लाने वाले इसे गांव-गांव और शहरों में बेचते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी आमदनी भी हो जाती है। छत्तीसगढ़ के बौरीडांड से तेंदू बेचने आई महिलाओं ने बताया कि हम लोग दो दिन छोड़कर घर के नजदीक ही जंगल है वहां से तेंदू फल लाते हैं और ट्रेन से कोतमा बिजुरी के बाजार मे तीस रूपए से चालीस रुपए किलो की दर से लाकर बेचते है।

लट्ठा प्रजाति के लकड़ी की अवैध कटाई किए जाने पर अपराध दर्ज

हरिभूमि न्यूजकोतमा। वन परिक्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर बीट 465 में केवई नदी के समीप वन भूमि पर लट्ठा प्रजाति के लकड़ी की अवैध कटाई किए जाने पर वन विभाग के द्वारा वन अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। कार्यवाही को लेकर सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी जेडी धारवे ने बताया कि बिना अनुमति लकड़ी कटाई की सूचना पर टीम सहित जाकर मौके पर लट्ठा प्रजाति की 7 घन मीटर लकड़ी को जप्त करते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लोभन केवट पिता कुलदीप निवासी पैरीचूहा के खिलाफ कार्यवाही की गई है। जांच विवेचना उपरांत आगे भी आरोपी बढ़ाए जा सकते हैं। विदित रहे कि केवई नदी किनारे जंगल की भूमि पर कई वर्षों पूर्व अवैध कब्जा कर बाउंड्री निर्माण कार्य किया गया था। कुछ दिनों पूर्व लगातार पेड़ो की कटाई को लेकर वन प्रेमियों द्वारा शिकायत जिला वन मंडलाधिकारी को की गई थी। जिसके बाद स्थानीय वन स्टाफ हरकत में आते हुए कार्यवाही शुरू किया।

इतनी गर्मी की घर के अंदर 38 डिग्री तापमान बाहर तो पूछो मत, कूलर-एसी भी हो गए फेल

कोतमा। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बाहर तो बाहर घर के अंदर भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। आलम यह है कि दोपहर को घर के अंदर का तापमान 38 डिग्री तक पहुंच जाता है। बाहर तो 42 डिग्री से भी ऊपर पारा पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों को घर के अंदर कूलर व एसी भी गर्मी से राहत नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरा नगर सहित कोयलांचल क्षेत्र उबल रहा हो। मंगलवार से आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है। तापमान बढ़ने के साथ ही इन दिनों जिला मुख्यालय सहित कोतमा में दोपहर को लू चलने लगी है। ऐसे में लोग घर या ऑफिस के अंदर कूलर या एसी की हवा खाते बैठे रहने में ही भलाई समझने लगे हैं। इन दिनों दोपहर को घर के बाहर का तापमान 42 तो घर के अंदर का तापमान 38 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों का बेचैन होना स्वभाविक है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्म हवा के कारण क्षेत्र का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दौरान तापमान 40 डिग्री के बीच रहने की आशंका है। तेज धूप व गर्मी के कारण लोगों को दिन तो क्या शाम व रात को भी राहत नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल माह मे मई महीने जैसी भीषण उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान मे पड़ रही भीषण गर्मी के साथ ही तेज धूप होने के कारण डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में पानी की कमी से चक्कर, सिरदर्द व अन्य परेशानी त्वचा झुलस सकती है, तेज जलन भी संभव है।

बुजुर्गों को जल्दी हो सकता है इसका असर, बच्चों को डायरिया, धूप में उल्टी का खतरा ज्यादा होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा पानी दिनभर पीते रहें। घर से बाहर चेहरा, शरीर ढंककर निकलें। नीबू का शर्बत, फ्रूट जूस, लस्सी वगैरह। ठेले और खोमचों में खाने से बचें। बच्चे और बुजुर्ग दोपहर में घर से बाहर नहीं जाएं। भीषण गर्मी पड़ने के कारण लोगों के द्वारा घर में भी लस्सी व आईसक्रीम बनाई जाने लगी है। गर्मी बढ़ने से लोग इस कदर परेशान हैं कि शाम होते ही गन्ना रस, आईसक्रीम, कुल्फी दुकान या जूस सेंटर पहुंच जाते हैं। दोपहर को दुकान तक जाने की हिम्मत नहीं होने पर घर के अंदर ही लस्सी व आईसक्रीम बनाकर गर्मी से राहत पाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं रसीले फलों आम, तरबूज, अंगूर व कलिंदर की बिक्री भी बढ़ी है। इन चीजों को खाने से उन्हें कुछ राहत मिलती है। वहीं अब लोग घर में चाय की जगह लस्सी या शर्बत पीने लगे हैं। मेहमानों को भी यही दिया जाने लगा है। बीमार पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही गर्मी के कारण लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में बढ़ती भीड़ को देखकर आसानी से जाना सकता है। डॉक्टर भी लोगों को मसालेदार व होटल में खाने की बजाय घर में कम नमक मिर्च वाली चीजें खाने को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं। डाक्टर विकास पाण्डेय का कहना है कि बच्चों, बूढ़ों व बीमार पीड़ितों की विशेष देखभाल करे। दोपहर को लू चलने की स्थिति में लोगों को घर से बाहर निकलने से बचने को कहा है। तेज धूप में लोगों को आवश्यक होने पर ही घर या ऑफिस से बाहर निकलना चाहिए। निकलने से पहले सिर, चेहरा व आंखों को ढंक कर ही निकलना चाहिए। इन दिनों मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों व बीमार पीड़ितों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

नपा अध्यक्ष ने स्कूल में दिया वाटर कूलर मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह ने किया उद्घाटन

हरिभूमि न्यूज भालूमाड़ा। भीषण गर्मी को देखते हुए नगर पालिका पसान के अध्यक्ष राम अवध सिंह द्वारा भालूमाड़ा स्थित पीएम श्री हाई स्कूल परिसर में विद्यार्थियों के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की गई। इसी क्रम में आयोजित कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। नगर पालिका की यह पहल विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुविधा के लिए सराहनीय कदम है। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद पसान के वार्ड नंबर 13 के पार्षद दीपक यादव, नगर पालिका के उपयंत्री अनुभव त्रिपाठी, मंडल मंत्री अभिषेक सिंह उर्फ विक्की, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा, बूथ अध्यक्ष वसीम अहमद सहित स्कूल के शिक्षक एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप

3200 रूपये का स्पाट फाईन, 10 मवेशियों को भेजा कांजी हाउस

कटनी। नगर निगम द्वारा शहर में सुचारू सफाई व्यवस्था हेतु क्षेत्रवार गठित टीमों द्वारा रोजाना शाम के समय अभियान चलाकर स्वच्छता नियमों का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्थलों में गंदगी फैलानें एवं निर्माण सामग्री रखने वालों पर स्पॉट फाईन की काग्रवाही की जा रही है। जिसके तहत विगत दिवस गंदगी पर 2700 रूपये तथा निर्माण सामग्री सार्वजनिक स्थलो पर रखने पर 500 रूपये कुल 3200 रूपये का स्पाट फाईन किया गया। वहीं सुगम एवं सुरक्षित आवागमन हेतु 10 धुमंतू मवेशियों को सुरक्षित पकड़कर अमीरगंज कांजी हाउस भेजने के साथ ही वार्डो में कीटनाशक दवा के छिड़काव का कार्य किया जाकर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास किये जा रहे है।

1 मई को बंद रहेगा मांसाहार का क्रय-विक्रय

कटनी। शासन द्वारा बुद्ध जयंती पर्व के अवसर पर शुक्रवार 1 मई को नगर में मांसाहारी पदार्थ मुर्गा, मुर्गी, मांस, मछली का क्रय विक्रय बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए है। शासन निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी ने नगर के समस्त संबंधित दुकानदारों को आम सूचना के माध्यम से सूचित किया है कि शुक्रवार 1 मई 2026 को बुद्ध जयंती के अवसर पर मांसाहारी पदार्थों का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आज

कटनी। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत के सभा कक्ष आयोजित होगी। जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरन प्रीत कौर ने सर्व संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्धारित एजेंडा के अनुसार अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में स्वयं उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया है। सामान्य सभा की बैठक में पूर्व की बैठक के पालन प्रतिवेदन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग विभाग से संबंधित संचालित विभागीय योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा के साथ अन्य विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति चर्चा होगी।

दस्तक अभियान चलाया

कटनी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अंतर्गत नगर निगम प्रशासन एवं सहयोगी संस्था द्वारा मंगलवार को वार्ड क्रमांक 12, वीर सावरकर वार्ड में "दस्तक अभियान" चलाया गया। इस दौरान टीम ने घर-घर पहुंचकर नागरिकों को सोर्स सेग्रीगेशन (कचरा पृथक्करण) के महत्व से अवगत कराया।
रहवासियों को गीले एवं सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन का उपयोग करने तथा कचरे को पृथक रूप से ही संग्रहण वाहन को देने के लिए प्रेरित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर नागरिकों को फीडबैक की जानकारी दी गई।

पुलिस ने सुनी लोगों की समस्यायें

कटनी। पुलिस कंट्रोल रूम में मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा उपस्थित आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुना। इस दौरान शिकायत सुनवाई एवं समाधान हेतु एएसपी डॉक्टर संतोष डेहरिया, CSP श्रीमती नेहा पच्चीसिया, डीएसपी हेडक्वार्टर रत्नेश मिश्रा, डीएसपी सुश्री शिवा पाठक, एसडीओपी स्लीमनाबाद श्रीमती आकांक्षा चतुर्वेदी, एसडीओपी विजयराघवगढ़ वीरेंद्र धार्वे जनसुनवाई में उपस्थित रहे। आवेदकों की समस्या को प्राथमिकता से लेते हुए संबंधित थाना प्रभारी एवं को त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कुछ प्रकरणों में साइबर संबंधी शिकायतों के प्राप्त होने पर, फरियादियों को शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने एवं साइबर अपराधों से जागरूक रहने की हिदायत भी पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों को दी गई एवं कार्यवाही के निर्देश सायबर सेल को दिये गये।

भीषण गर्मी में प्याऊ तक नहीं, स्वच्छ पानी के लिए वाटर एटीएम की मांग तेज

आजाद चौक से लगे स्थल पर बने बस स्टॉप, वाटर एटीएम व आधुनिक भवन

धनपुरी। कोयला नगरी धनपुरी में वर्षों से लंबित बस स्टैंड की मांग अब एक बार फिर सुर्खियों में है। नगरवासियों ने आजाद चौक से लगे पुराने बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप, सवालिस के कुएं से लगी रिक्त भूमि पर मिनी बस स्टॉप, वाटर एटीएम और पुलिस सहायता केंद्र सहित आधुनिक दो मंजिला भवन निर्माण की जोरदार मांग उठाई है।

धनपुरी। कोयला नगरी धनपुरी में वर्षों से लंबित बस स्टैंड की मांग अब एक बार फिर सुर्खियों में है। नगरवासियों ने आजाद चौक से लगे पुराने बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप, सवालिस के कुएं से लगी रिक्त भूमि पर मिनी बस स्टॉप, वाटर एटीएम और पुलिस सहायता केंद्र सहित आधुनिक दो मंजिला भवन निर्माण की जोरदार मांग उठाई है।

भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था तक नहीं

नगर में इस समय पड़ रही भीषण गर्मी के बीच सबसे बड़ी चिंता राहगीरों के लिए पीने के पानी की है। हैरानी की बात यह है कि नगर पालिका अब तक सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ (पानी की व्यवस्था) तक नहीं कर सकी है। ऐसे में राहगीरों, यात्रियों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वाटर एटीएम बने, स्वच्छ जल का केंद्र

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि प्रस्तावित स्थल पर वाटर एटीएम स्थापित कर दिया जाए, तो यह पूरे नगर के लिए स्वच्छ पेयजल का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। इससे यात्रियों को सुलभ और शुद्ध पानी मिलेगा, वहीं नगर में पानी की समस्या का भी आंशिक समाधान हो सकेगा।

आजाद चौक से जुड़ा है पूरा मामला

नगर का सबसे व्यस्त स्थल आजाद चौक है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। प्रस्तावित भूमि इसी चौक से लगी हुई है, जिससे यहां बस स्टॉप और सुविधा केंद्र बनने पर पूरे क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा सबसे अहम

बस स्टॉप के अभाव में स्कूली बच्चे सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। यदि यहां शेड युक्त बस स्टॉप और प्रतीक्षालय बनाया जाता है, तो

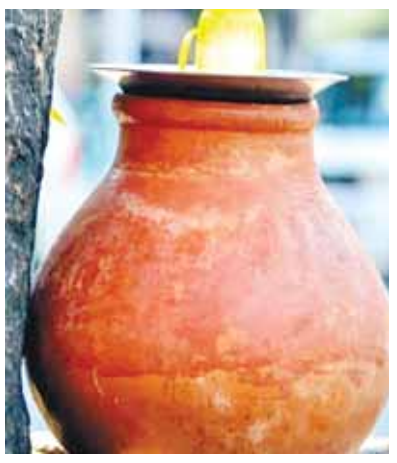

बच्चे सुरक्षित स्थान पर रुक सकेंगे और गर्मी, बारिश से भी बचाव होगा।

एक ही परिसर में बहुउद्देशीय सुविधा

प्रस्तावित योजना के तहत मिनी बस स्टैंड, पुलिस सहायता केंद्र, वाटर एटीएम और बैठने की समुचित व्यवस्था एक ही परिसर में विकसित की जा सकती है। इससे यात्रियों को छाया, पानी और सुरक्षा— तीनों सुविधाएं एक साथ मिलेंगी।

पुलिस को भी मिलेगी राहत

आजाद चौक पर तैनात पुलिस कर्मियों को वर्तमान में बिना किसी स्थायी व्यवस्था के ड्यूटी करनी पड़ती है। पुलिस सहायता केंद्र बनने से उन्हें भी एक सुरक्षित स्थान मिलेगा, जिससे वे बेहतर ढंग से यातायात नियंत्रण कर सकेंगे।

प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग

स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, श्रमिक नेताओं और पत्रकारों ने संभागायुक्त शहडोल एवं कलेक्टर शहडोल से मांग की है कि नगर पालिका को आवश्यक निर्देश देकर इस योजना को शीघ्र अमल में लाया जाए।

वर्षों से मांग

आजाद चौक से लगे इस प्रस्तावित स्थल पर बस स्टॉप, वाटर एटीएम और आधुनिक सुविधा केंद्र का निर्माण न केवल यात्रियों और स्कूली बच्चों को राहत देगा, बल्कि भीषण गर्मी में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर नगरवासियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा।

सुपरवाइजरों का एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण संपन्न

उमरिया। जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त 233 सुपरवाइजरों के लिए जिला पंचायत परिसर में एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सुपरवाइजरों को उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति पुनः जागरूक एवं अभिमुख करना था, ताकि वे आगामी कार्यों को बेहतर ढंग से संपादित कर सकें।
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा 1 मई से 31 मई तक आयोजित होने वाली जनगणना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसमें सुपरवाइजरों की भूमिका, कार्यप्रणाली, सर्वेक्षण के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रशिक्षण में बताया गया कि जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से शासन को विभिन्न योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए सटीक आंकड़े प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी सुपरवाइजरों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ प्रगणकों के कार्यों का नियमित निरीक्षण करें तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्रशिक्षण में डिजिटल साधनों के उपयोग, डेटा की शुद्धता,गोपनीयता बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी को पूरी जिम्मेदारी एवं निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। प्रशिक्षण में एचएलबी की सीमाओं और स्थलों का भौतिक सत्यापन करने और कोई विसंगति होने पर इसकी रिपोर्ट चार्ज ऑफिसर को देने,सभी एच एल बी को कवर करते हुए पर्यवेक्षी सर्कल का लेआउट मैप तैयार करने,सुपरवाइजर ऐप और फील्ड निरीक्षण के माध्यम से प्रगणक के डेटा की निगरानी, पूर्वावलोकन जाँच और आंकड़ो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, एच एल बी के बीच कोई अंतराल या ओवरलैप नही होने और सभी एचएलबी पूरी तरह से कवर करते हुए और उन्हें 'पूर्ण' चिह्नित करने, फील्ड कार्य के दौरान प्रगणक को इस कार्य से सम्बंधित कोई समस्या आए तो उसका निराकरण समय से करने कि बात कही गई ।
कार्यक्रम के अंत में सुपरवाइजरों की शंकाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता,नोडल अधिकारी जनगणना प्रत्युष श्रीवास्तव, मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा, संजय पांडेय उपस्थित रहे।

उमरार डेम एवं कैनल की हुई साफ-सफाई

उमरिया। प्रदेश में जल संरक्षण को जन-आंदोलन का रूप देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। जल गंगा संवर्धन अभियान इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके माध्यम से परंपरागत जल स्त्रोतों का पुनर्जीवन और संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। यह पहल न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संसाधनों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय के मार्गदर्शन में जल संरक्षण और संवर्धन को मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा उमरार डेम एवं उससे जुड़ी कैनल की व्यापक साफ-सफाई की गई। इस सराहनीय पहल में विभागीय कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए श्रमदान किया और अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
अभियान के तहत डेम और कैनल में जमा गाद, कचरा तथा

जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाली झाड़ियों को व्यवस्थित रूप से हटाया गया। इस कार्य से न केवल जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि सिंचाई व्यवस्था भी अधिक प्रभावी और सुचारु बन सकेगी, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां जल स्त्रोतों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इससे आसपास के क्षेत्रों में भू-जल स्तर में सुधार होता है और दीर्घकालीन जल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। उन्होंने यह भी कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही जल संकट जैसी चुनौतियों का प्रभावी समाधान संभव है। कार्यक्रम के अंत में आमजन से अपील की गई कि वे जल स्त्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें, वर्षा जल संचयन को अपनाएँ और जल संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने में भागीदार बनें।

अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की हुई बैठक

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु मंगलवारको जिला न्यायालय कटनी के कॉन्फ्रेंसस हॉल में एसपीएसबुंदेला जिला न्यायाधीश, राजेश कुमार श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मनीष गौतम, मैग्मा इंश्योरेंस कंपनी से राधिका पेठे, इफाको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी से ऋषभ श्रीवास एवं आईसीआईसीआई इंश्योरेंस कंपनी से मयूर सोनी बीमा कंपनी के अधिकारीगण व्हीसीसे एवं बीमा कंपनी के अधिवक्तागण, क्लेमेंट अधिवक्ता मीटिंग में उपस्थित रहें।
एसपीएसबुंदेला जिला न्यायाधीश, राजेश कुमार श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश के द्वारा बीमा कंपनी के अधिकारियों से वन टू वन चर्चा की गयी एवं न्यायालय में लंबित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये, एवं बीमा कंपनी के अधिकारीगण/अधिवक्तागण के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में क्लेम प्रकरणों के निराकरण कराये जाने का अश्वासन दिया।
श्रीमती मृणालिनी सिंह व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के द्वारा आमजन/पक्षकारो से अपील की है कि न्यायालय में लंबित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सिविल, आपराधिक एवं चेक बाउंस 138 एनआईएक्ट के समस्त राजनीमा योग्य प्रकरणों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाए, एवं आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं।

शासकीय महाविद्यालय बिलासपुर में सत्र का किया गया आयोजन

उमरिया। शासकीय महाविद्यालय बिलासपुर में जिला स्तरीय टास्क फोर्स के निर्णय अनुसार विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक दृष्टिकोण हेतु परामर्शदाता राकेश चौधरी द्वारा सत्र आयोजित किया गया। उन्होंने प्रभारी प्राचार्य एवं उपस्थित छात्र-छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए बताया कि मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक रूप से काम कर सकता है और समुदाय में योगदान दे सकता है।
उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बताते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई शारीरिक स्वास्थ्य नहीं हैय यह सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। उन्होकने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य विकार (जैसे चिंता, अवसाद) जीवन की

गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, लेकिन उचित देखभाल और योग जैसी चिकित्सापूरक विधियों से इनमें सुधार संभव है. इसके लिए पढ़ाई के समय घबराहट या मन एकाग्र न होना जिसमें मन एकाग्र करने के लिए ग्राउंडिंग तकनीकी की जानकारी विस्तार से बताई गई और नियमित दिनचर्या,संतुलित आहार,पर्याप्त नींद और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है।इसके साथ टेली मानस हेल्पलाइन नंबर 14416 एवं जस्ट आस्क चौट बोर्ड,मनहित ऐप की जानकारी दी गई और फीडबैक लिया गया जिसमें उपस्थित प्रभारी प्राचार्य अपूर्वा दहायत और छात्राएं उपस्थित रहे।

अवैध बाउंड्रीवाल निर्माण पर ठोंका जुर्माना, एक सप्ताह में हटाने के दिए निर्देश

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष तिवारी ने 88 आवेदकों की समस्यालयें सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा, सहायक कलेक्टर श्लोक वाइकर,संयुक्त कलेक्टर जितेन्द्र पटेल, जिला प्रबंधक लोकसेवा दिनेश विश्वकर्मा सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहें।
जनसुनवाई के दौरान कटनी निवासी आदर्श पाण्डेलय ने कलेक्टर श्री तिवारी को बताया कि ग्राम पंचायत मड़ई अंतर्गत ग्राम पोंडी की शासकीय चरनोई की भूमि में किड्स केयर के संचालक डॉ. डी के खरे एवं ममता खरे ने अवैध बाउंड्रीवाल बनाकर कब्जा कर लिया है जिसकी कार्यवाही स्वरूप तहसीलदार कटनी नगर के द्वारा संचालक पर 2 हजार रूपये का अर्थदंड लगाकर अवैध अतिक्रमण को एक सप्ताह में हटाने का आदेश दिया था। परंतु, स्कूरल संचालक द्वारा अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है जिस पर कलेक्टंर ने तहसीलदार को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार ग्राम बम्हनगवां निवासी राजाराम पटेल ने कलेक्टर से कृषि उपज पंजीयन में अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज कराने का आग्रह करते हुये कहा कि पूर्व में दर्ज नंबर की जगह नया मोबाइल नंबर दर्ज हो जाने से मुझे स्लॉट बुकिंग करने और कृषि उपज का विक्रय करने में आसानी होगी। इस पर कलेक्टर श्री तिवारी ने जिला आपूर्ति अधिकारी को शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में माधवनगर निवासी कमल कुमार छतवानी ने दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाने का आग्रह करते हुये कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। मेरे घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। मेरा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा दीजिये ताकि मुझे शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। इस पर कलेक्टर ने सामाजिक न्यीय विभाग को पात्रतानुसार सर्टिफिकेट बनवाने के निर्देश दिए।
वहीं जनपद पंचायत रीठी के ग्राम बरजी की बुजुर्ग महिला प्यारी बाई चौधरी ने कलेक्टर श्री तिवारी को बताया कि मुझे नियमित रूप से वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी। पेंशन जारी रखने के लिए समग्र आईडी का आधार से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य था। जब मैंने अपनी समग्र आईडी का केवाईसी कराने का प्रयास किया, तो पता चला कि मेरा आधार नंबर पहले से ही किसी अन्य अज्ञात समग्र आईडी में दर्ज है। आधार कार्ड दूसरी आईडी में लिंक होने के कारण मेरा ई-केवाईसी सफल नहीं हो पा रहा है। जिससे मेरी पेंशन रूक गई है।

खबर संक्षेप

भीषण गर्मी के बीच राहगीरों के लिए की जा रही है शीतल पेयजल की व्यवस्था

हरिभूमि न्यूज राजेंद्रग्राम। ग्रीष्मकाल में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में जनहित के कई महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किए गए हैं। क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर निःशुल्क प्याऊ संचालित किए जा रहे हैं, ताकि तेज धूप में यात्रा करने वाले राहगीरों एवं दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों से आने वाले नागरिकों को शीतल पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सके। प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से बस स्टैंड, तहसील मुख्यालय और प्रमुख बाजारों जैसे व्यस्त स्थानों पर ठंडे पानी के मटकों की समुचित व्यवस्था की गई है। इन प्याऊ केंद्रों के संचालन में स्वच्छता एवं जल की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पेयजल पात्रों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे राहगीरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित जल प्राप्त हो सके।

गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया निरंतर जारी, अब तक 516 क्विंटल गेहूं की हुई खरीदी

अनूपपुर। रबी उपार्जन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 अप्रैल से जारी है। अब तक जिले के 6 उपार्जन केंद्रों पर किसानों से कुल 516 क्विंटल गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था की गई है। जिले में 1367 किसानों ने गेहूं विक्रय हेतु पंजीयन कराया है, जिनमें से 179 किसान अब तक स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं। गौरतलब है कि शासन द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिस पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 40 रुपये का अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार किसानों से कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी की जा रही है। खाद्य विभाग ने पंजीकृत किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि में अपनी उपज का विक्रय करने हेतु समय पर स्लॉट बुकिंग कराएं।

परम पूज्य गुरुवरों की पावन स्मृति में सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का दिव्य आयोजन

अमरकंटक। भारत के प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक एवं मोक्षदायिनी तीर्थस्थल पवित्र नगरी अमरकंटक स्थित मृत्युंजय आश्रम में परम पूज्य गुरुवरों की पावन स्मृति में सप्त दिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा का दिव्य एवं भक्तिमय आयोजन 25 अप्रैल से 1 मई 2026 तक श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हो रहा है। यह पुण्य आयोजन पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर श्री 108 श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, परमाध्यक्ष दैवी संपद मंडल के पावन सानिध्य एवं दिव्य आशीर्वाद में संपन्न हो रहा है। कथा आयोजन परमेष्ठी सद्गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी एकरसानंद सरस्वती जी महाराज, संस्थापक दैवी संपद मंडल, परम सद्गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी भजनानंद सरस्वती जी महाराज तथा सद्गुरुदेव परमहंस अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी शारदानंद सरस्वती जी महाराज की पावन स्मृति को समर्पित है। कथा व्यास पीठ से विद्वान आचार्य राममूर्ति मिश्रा प्रतिदिन संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक श्रद्धालु भक्तजन कथा श्रवण कर धर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की अमृतधारा में आत्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। कथा स्थल पर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत वातावरण निर्मित हो रहा है, जहाँ श्रीहरि नाम संकीर्तन एवं सत्संग से समस्त वातावरण दिव्यता से आलोकित है। श्रीमद्भागवत कथा केवल श्रवण का विषय नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण, जीवन के परिष्कार और लोककल्याण की प्रेरणा है। "सर्वभूत हिते रताः" के दिव्य संदेश को आत्मसात करते हुए यह आयोजन समाज में सेवा, करुणा, धर्म और मानवता के आदर्शों को स्थापित करने का पावन माध्यम बन रहा है। 1 मई को विशाल भंडारा, संत समागम एवं पूर्णाहुति के साथ यह पुण्य आयोजन सम्पन्न होगा। स्वामी भजनानंद मृत्युंजय सेवा ट्रस्ट, अमरकंटक द्वारा समस्त भक्त श्रद्धालुओं, धर्मप्रेमियों एवं क्षेत्रवासियों से विनम्र आग्रह किया गया है कि वे अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर श्रीमद्भागवत कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करें तथा संत कृपा के पात्र बनें।

कोतमा कोर्ट का सख्त फैसला

दहेज की बलि चढ़ी रेखा, पति-ससुर-देवर को उम्रकैद

अनूपपुर जिले के कोतमा में बहुचर्चित दहेज हत्या मामले में न्यायालय ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति, ससुर और देवर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला न केवल एक महिला की दर्दनाक मौत का प्रतीक है, बल्कि समाज में फैली दहेज प्रथा की भयावह सच्चाई को भी उजागर करता है, जिस पर अदालत ने कड़ा संदेश दिया है।

हरिभूमि न्यूज अनुपपुर/कोतमा।

जिले के कोतमा पुलिस अनुभाग के थाना भालूमाड़ा क्षेत्र में दर्ज बहुचर्चित दहेज हत्या प्रकरण में न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की दृढ़ता को दर्शाता है। मृतिका रेखा केवट, जिसकी शादी मई 2021 में मोहन लाल केवट से हुई थी, विवाह के कुछ समय बाद ही दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना का शिकार होने लगी। पति, ससुर और देवर द्वारा लगातार डनलप गद्दा, एलईडी टीवी, जमीन और दोपहिया वाहन की मांग की जा रही थी। परिवार द्वारा आंशिक मांग पूरी करने के बावजूद आरोपियों का अत्याचार थमा नहीं। 10 नवंबर 2022 को रेखा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की ठोस दलीलों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया। यह निर्णय न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी देता है।

दहेज की मांग बनी मौत की वजह

रेखा केवट की शादी के कुछ ही महीनों बाद ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग शुरू हो गई थी। पति मोहन लाल, ससुर बिहारी लाल और देवर तेजभान द्वारा लगातार डनलप गद्दा, एलईडी टीवी, 20 डिसमिल जमीन या दोपहिया वाहन की मांग की जाती रही। रेखा के पिता ने अपनी क्षमता अनुसार टीवी और गद्दा उपलब्ध कराया, लेकिन शेष मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। यह प्रताड़ना धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि अंततः उसकी जान ले ली गई।

हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश

घटना को छुपाने के लिए आरोपियों ने सुनियोजित साजिश रची। 10 नवंबर 2022 को रेखा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और फिर साड़ी से फांसी लगाकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। आरोपियों को लगा कि इस तरीके से वे कानून से बच निकलेंगे, लेकिन पुलिस जांच और साक्ष्यों ने इस झूठी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने स्पष्ट कर दिया कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी।

न्यायालय का सख्त फैसला

द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोतमा ने इस जघन्य अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पति, ससुर और देवर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 के तहत 5 वर्ष, धारा 498ए के तहत 3 वर्ष तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया। यह फैसला न्यायालय की सख्ती और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है।

अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी

इस मामले में शासन पक्ष की ओर से अभियोजक वृंदा चौहान ने प्रभावी और सशक्त पैरवी की। उन्होंने सभी साक्ष्यों और गवाहों को मजबूती से प्रस्तुत किया, जिससे अदालत को सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिली। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को तार्किक ढंग से जोड़ते हुए यह साबित किया गया कि रेखा की हत्या सुनियोजित थी। अभियोजन की सटीक दलीलों और तथ्यों की प्रस्तुति ने इस केस को मजबूत बनाया और अंततः आरोपियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।

समाज के लिए कड़ा संदेश

न्यायालय का यह फैसला दहेज प्रथा और महिला उत्पीड़न के खिलाफ एक सशक्त संदेश है। यह स्पष्ट करता है कि दहेज के नाम पर अत्याचार करने वालों को कानून बख्शेगा नहीं। यह निर्णय समाज को जागरूक करने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यह उन परिवारों के लिए चेतावनी भी है जो दहेज को सामाजिक परंपरा मानते हैं। इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ समाज में जागरूकता और कानून का डर दोनों बढ़ेगा।

कोल इंडिया यूनिफॉर्म ड्रेस कोड में बदलाव को मिली मंजूरी

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 490वीं बैठक में संशोधन मंजूर

हरिभूमि न्यूज राजनगर।

भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 490वीं बैठक में कर्मचारियों के यूनिफॉर्म ड्रेस कोड योजना में अहम बदलावों को मंजूरी दी गयी। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मंगलवार को कंपनी की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को हर साल 12,500 रुपये का एडवांस यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मिलेगा। इस राशि से कर्मचारी तीन या उससे अधिक जोड़ी यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी बिल जमा करने की समय सीमा को लेकर किया गया है। पहले कर्मचारियों को एडवांस मिलने के एक माह के अंदर बिल जमा करना होता था, जिसे अब बढ़ाकर दो माह कर दिया गया है। तय समय सीमा पर बिल जमा नहीं करने पर एडवांस राशि वेतन या अन्य देयों से वसूली जायेगी। वहीं सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट नियम तय किये गये हैं। उन्हें एडवांस लेने के बाद दो माह के भीतर या अंतिम वेतन से पहले (जो पहले हो) बिल जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर राशि उनकी अंतिम सैलरी से काट ली जायेगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यूनिफॉर्म का विवरण और मात्रा संशोधित एनेक्सचर-ए के अनुसार लागू होगा। जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि छहमाह से कम बची है, उन्हें 50 प्रतिशत राशि देने का प्रावधान अब हटा दिया गया है। बता दें कि पुरुष कर्मचारियों के लिए ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट, जब कि महिला कर्मियों के लिए ग्रे/मैरून रंग में अलग-अलग विकल्प तय किये गये हैं। अनूपपुर जिले में कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सोहागपुर क्षेत्र, जमुना- कोतमा क्षेत्र तथा हसदेव क्षेत्र आते हैं। जहां हजारों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं। जिन्हें 12500 रूपये अप्रैल के वेतन में मिलेगा।

भू- माफियाओं में प्रशासन ने कसा शिकंजा

प्रशासन की कार्यवाही से मचा भू-माफियाओं में हड़कंप

हरिभूमि न्यूज अनुपपुर।

जिले के कोतमा नगर में लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग और जमीन विक्रय के खेल प्रशासन की उदासीनता से फल फूल रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 हाइवे किनारे खेतों सहित नगर में भूमियों को अवैध रूप से प्लाटिंग कर करोड़ों का खेल किया जा रहा है। लगातार जिला प्रशासन के समक्ष शिकायत के बाद अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व कोतमा द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आधा दर्जन लोगों को नोटिस जारी की गई है। साथ ही हल्का पटवारी से जांच कर मौके की वस्तु स्थिती रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्यवाही की जाएगी। नोटिस पर सफेदपोशों एवं सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के बाद नगर में हड़कंप देखा जा रहा है। नगर के वार्ड क्रमांक 8 में बिना वैधानिक अनुमति के प्लॉटिंग कर जमीन बेचने का मामला सामने आया है। कोतमा भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र जैन द्वारा अपने परिजनों के नाम से जमीन की अवैध प्लाटिंग का खेल खेला जा रहा था। एसडीएम ऑफिस से ममता जैन पूर्व पार्षद को अवैध रूप से भूमि का विभाजन कर विक्रय किए जाने की शिकायत मिली थी। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ प्लॉटों का पंजीयन कर बिक्री भी कर दी गई है, जो सीधे-सीधे राजस्व नियमों का उल्लंघन है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 10 में भी भुमेश प्रसाद पिता अगस्त मुनि, संतन पाल एवं रुकमणी देवी सोनी द्वारा अवैध प्लॉटिंग कर जमीन बेचे जाने का मामला उजागर हुआ है। तहसीलदार एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम कार्यालय ने इन सभी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विधिवत नोटिस जारी कर

जवाब तलब किया है।

कानूनी उल्लंघन और कार्यवाही

जांच में पाया गया कि संबंधित लोगों ने बिना लेआउट स्वीकृति, बिना डायवर्सन और बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन कर खुर्द बुर्द किया। जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता एवं नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। एसडीएम की नोटिस से अवैध कॉलोनियों और प्लॉटिंग करने वालों में खलबली मची हुई है। कोतमा में शुरू हुई यह कार्यवाही से क्षेत्र में सैकड़ो जमीनों पर प्लाट काटने वालों में हड़कंप देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में और लोगों को नोटिस जारी हो सकती है। इतना ही नही नगर के वन डिपो के पास तो मुख्य सड़क के किनारे भू माफियाओं के द्वारा अवैध प्लाटिंग करते हुए सड़क मे बने सीमेंट कंक्रीट से बने डिवाइडर को भी तोड दिये है लेकिन इस ओर प्रशासन का ध्यान ही नही जा रहा है जबकि भू माफियाओं के द्वारा सरकारी संपत्ति को नष्ट किया गया है।

पूर्व मे जारी हुआ था नोटिस

पूर्व में एसडीएम कार्यालय से अवैध रूप से प्लाटिंग कर जमीन की खरीद फरोख्त करने पर लगभग 19 लोगों को नोटिस जारी किया गया था लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा उस नोटिस पर क्या कार्यवाही की गई इसकी जानकारी नहीं दी गई जिसके कारण भू माफियाओं के हौसले बुलंद है वर्तमान में तो स्थिति यह है कि नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 हाईवे के किनारे वार्ड क्रमांक 10 तहसील कार्यालय के पीछे खुलेआम अवैध रूप से जमीनों की प्लाटिंग का खेल शुरू है जब यह हाल एसडीएम एवं तहसीलदार के नाक के नीचे का है तो बाकी जमीनों का क्या होगा यह एक प्रश्न बनकर नागरिकों के बीच जनचर्चा का विषय बना हुआ है।

इन्हें पूर्व में दी गई थी नोटिस

भूमिस्वामी का नाम महावीर कन्सलटेंसी कोतमा प्रोपराईटर संमति जैन पिता देवेन्द्र जैन, रामेश्वर प्रसाद बरगाही पिता रामस्वरूप बरगाही, अभय सिंह पिता रविन्द्रनाथ सिंह, संजय कुमार पिता श्रीनिवास पाण्डेय, मुन्नीबाई पति जीवनलाल बगै कोतमा, अशोक नारवानी पिता खूबचन्द्र नारवानी कोतमा, रामप्रकाश सिंह पिता देवलाल सिंह कोतमा, देवशरण कुशवाहा पिता सुन्दरलाल कुशवाहा कोतमा, लक्ष्मीनारायण शिवहरे पिता शिवमंगल शिवहरे कोतमा, चंन्द्रिका प्रसाद पिता बालकरण ब्रा0 कोतमा, प्रवीण चन्द्र पिता भोगीलाल बगैरह कोतमा केदार पिता भोला प्रसाद बरगाही कोतमा, अशफाक अहमद पिता मंजूर कोतमा, भवानी शंकर जायसवाल पिता भागीरथी कल्याणपुर पथरौडी, जमुना देवी पाण्डेय पति मुनेश्वर पाण्डेय गोहन्ड्रा पथरौडी, रेखा मिश्रा पिता नीरज कुमार मिश्रा गोहन्ड्रा पथरौडी, इकलाक मंसुरी पिता आला गोहन्ड्रा पथरौडी, सुशील कुमार पाण्डेय पिता सतांनद पाण्डेय पैरीचुआ पथरौडी, फूलचन्द्र पिता चुनबद कुम्हार कोतमा।

इनका कहना है

अवैध प्लाटिंग एवं नियम विरुद्ध कार्य पर नोटिस जारी की गई है। वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

सतीश वर्मा एसडीएम कोतमा

अमरकंटक में अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई, चार अवैध निर्माण हटाए गए

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक।

पवित्र नगरी अमरकंटक में नगर परिषद द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को वार्ड क्रमांक 12 स्थित पुराने नर्मदा मंदिर मार्ग पर शिव प्रसाद गौतम के मकान के सामने बने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर परिषद की टीम ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी चैन सिंह परस्ते की मौजूदगी में अमरकंटक पुलिस एवं राजस्व विभाग के संयुक्त सहयोग से यह अभियान चलाया। कार्रवाई सुबह लगभग 11 बजे प्रारंभ हुई, जिसके दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। कार्रवाई के दौरान दो टीन शेड मकान, एक दुकान सहित कुल तीन झुग्गी-झोपड़ियों को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। वहीं वार्ड क्रमांक 10 रामघाट क्षेत्र में पूर्व से निर्मित यज्ञशाला को भी इस अभियान के तहत हटाया गया। इस प्रकार कुल चार अवैध अतिक्रमणों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार संबंधित निर्माण बिना अनुमति के शासकीय भूमि पर किए गए थे, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व संबंधित पक्षों को आवश्यक नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण प्रशासन को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि किसी भी हालत में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा या निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। नगर की व्यवस्था, स्वच्छता और सौंदर्य बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। नगर परिषद ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

सिकल सेल एनीमिया पर छात्राओं को किया जागरूक

हरिभूमि न्यूज राजेंद्रग्राम।

प्रणाम नर्मदा युवा संघ द्वारा माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर राजेंद्रग्राम में अध्यनरत छात्राओं के लिए एकदिवसीय सिकल सेल एनीमिया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदित हो कि सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत रूप से स्थानांतरित होती है। यह एक प्रकार का रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार गोलाण चपटाकर न होकर अर्द्ध चंद्राकार या हंसिया के आकार का हो जाता है इसीलिए इसे सिकल अर्थात हंसिया रोग कहते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 से सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें वृहद स्तर पर जांच और उपचार हेतु कार्य किया जा रहा है किंतु जागरूकता का अभाव इस बीमारी के नियंत्रण में एक बड़ी बाधा है। प्रणाम नर्मदा युवा संघ द्वारा विद्यालयों में अध्यनरत छात्र/छात्राओं एवं समुदाय में जागरूकता लाने के उद्देश्य यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के शोधार्थी एवं प्रनयुस के सिकल सेल जागरूकता इकाई के प्रमुख नीरज सिंह राठौर द्वारा सत्र का आयोजन किया गया। जिसमें सिकल सेल क्या है यह क्यों होता है सिकल सेल के लक्षण, सावधानी इलाज तथा भ्रांतियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान किया गया। इस दौरान उपस्थित शिक्षक एवं छात्रों ने उत्सुकता भरे प्रश्न पूछे और सभी ने विवाह पूर्व सिकल कुंडली मिलान करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में कन्या शिक्षा परिसर के शिक्षक, छात्र तथा संस्था के कार्यकारी सदस्य माखन सिंह धुर्वे, सदस्य आयुष जैन उपस्थित रहे।